न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./131/2022

1. रूघनाथ पुत्र श्री उंकार जाट जाति जाट निवासी ग्राम लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थीगण– महावीर गुर्जर

2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 11.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा लामगरा पटवार क्षेत्र लामगरा भू0अ0नि0 क्षेत्र चापानेरी की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं. 45, 85, 140 44 में दर्ज भूमियां प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है।** जिसमें प्रार्थी का नाम रघुनाथ पुत्र उंकार एवं रघुनाथ पुत्र औंकार जाति जाट दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम रूघनाथ पुत्र उंकार जाति जाट है। जिसे दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत न करते हुए प्रकरण के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रस्तुत की। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार अनापत्ति प्रदान की गई।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान करने पर उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन करने पर प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार योग्य होना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरुस्ती न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा लामगरा पटवार क्षेत्र लामगरा भू0अ0नि0 क्षेत्र चापानेरी की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं. 45, 85, 140 44 में दर्ज खातेदार क्रमशः** रघुनाथ पुत्र उंकार एवं रघुनाथ पुत्र औंकार जाति जाट के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम **रूघनाथ पुत्र उंकार जाति जाट** करने की स्वीकृति दी जाती है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। तहसीदार भिनाय नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 **को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।**

(युवराज सिंह) 11/2/23
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner